



SUDANA

पशु आहार संयंत्र, पचामा, जिला सीहोर-466001 (म.प्र.) MAAN NO.1030292

CATTLE FEED FACTORY, PACHAMA, SEHORE -466001 (M.P.) ISO 9001:2015

Mobile No. : 9827541102, 9589625016 GST No. 23AAAAB0221D1ZW

E-mail : cff.pachama@gmail.com

H.O.: Bhopal Sahakari Dugdh Sangh Maryadit Habibganj Bhopal (MP) 462024

Fax no.: 0755- 2450896 E.mail: misbsds@yahoo.co.uk

क्रमांक / 1016 / पआसं. / पचामा / 2025

दिनांक:- 07.01.2025

प्रथम ई-निविदा सूचना

तीन वर्ष की अवधि के लिये

"आयुर्वेदि / पॉली-हर्बल पशु आहार अनुपूरक"

की आपूर्ति हेतु ई-निविदा सूचना

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ में, "आयुर्वेदिक / पॉली-हर्बल पशु आहार अनुपूरक" की आपूर्ति हेतु ई-टेन्डर द्वारा आन लाईन निविदा के माध्यम से तीन वर्ष हेतु दरें आमंत्रित की जाती है। आन लाईन दरें दिनांक 28.01.2025 दोपहर 2:00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है। विस्तृत निविदा प्रपत्र ई-निविदा पोर्टल www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उक्त वेबसाइट पर ही जारी किए जावेंगे इसका पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा। अन्य जानकारी हेतु www.sanchidairy.com पर लॉग आन करें।

सुदाना
पशु आहार

सबसे कम कीमत पर
सबसे अच्छा पशु आहार



आयुर्वेदिक / पॉली- हर्बल पशु आहार अनुपूरक की आपूर्ति के लिए कार्य

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ में आयुर्वेदिक / पॉली – हर्बल पशु आहार अनुपूरक की आपूर्ति के लिए ई निविदा आमंत्रित की जाती है। भाग लेने वाले निविदाकार हेतु नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com से प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रक्रिया का विवरण इस प्रकार है:-

S. No.	Process Details	Date/time (Hrs.)
1	Purchase of Tender Start Date & Time	Date 08.01.2025 Time 6:30 Noon
2	Bid Closing Date & Time	Date 27.01.2025, Time 3:30 Noon
3	Technical Bid Opening date & Time	Date 28.01.2025, Time 3:30 Noon
4	Financial Bid Open Date & Time	Date 29.01.2025, Time 3.30 Noon
5	EMD	EMD amount Rs. 50,000 /- (Fifty Thousand Rupees only) submitonline & attach receipt

उपरोक्त विवरण के अनुसार, निविदा कर्ता को ऊपर दर्शाई गई वेबसाइट से ऑनलाइन टेंडर फॉर्म डाउनलोड करना होगा, फिर टेंडर फॉर्म में उल्लिखित सांची ऑर्गेनिक मिनरल मिक्सचर कार्य के सभी आवश्यक विवरण और नियम और शर्तों को विस्तार से पढ़ना होगा ताकि सोसायटी इसका लाभ उठा सके। निविदा प्रपत्र अपने स्वरूप में 1000/- रूपये मूल्य की ऑनलाइन खरीद के लिए निविदा प्रपत्र ईएमडी राशि के साथ दस्तावेज संलग्न कर निर्धारित तिथि एवं समय पर ऑनलाइन अपलोड एवं जमा करना होगा। प्राप्त निविदा को पहले आवश्यक विशिष्टताओं के अधीन किया जाएगा और उसके बाद प्रक्रिया के अनुसार निविदा आगे बढ़ाई जाएगी। किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार मुख्यकार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ का होगा। निविदाकार की अनुबंध अवधि उक्त अवधि अनुबंध दिनांक से तीन वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी, यदि निविदाकर्ता का प्रदर्शन संतोष जनक है, तो समान नियम और शर्तों पर अनुबंध अवधि को 2 वर्ष (1+1) के लिए बढ़ाने का अधिकार मुख्यकार्यपालन अधिकारी के पास निहित होगा। यदि निविदा में कोई सुधार / संशोधन पाया जाता है, तो उसे केवल एमपीसीडीएफ भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com और www.mptenders.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा। इसे किसी अन्य माध्यम से प्रकाशित / विचारित नहीं किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी



परिशिष्ट संख्या 01
आवश्यक योग्यता

प्रति

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ
भोपाल

महोदय,

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के क्षेत्र में आयुर्वेदिक / पॉली- हर्बल पशु आहार अनुपूरक की आपूर्तिकी ई-निविदा। दिनांक 08-01-2025 को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित ई-निविदा के संदर्भ में मेरा अनुरोध है कि मैंने निविदा प्रपत्र में उल्लिखित सभी शर्तों और निर्देशों को पढ़ और समझ लिया है। यदि मेरी निविदा नियमानुसार स्वीकार की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्त के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

क्र.	आवश्यक योग्यता	विवरण	अनिवार्य दस्तावेज़
1	निविदाकर्ता का नाम (फर्म / कंपनी / साझेदारी / स्वामित्व)		निविदाकर्ता का नाम उल्लेख करें (फर्म / कंपनी / साझेदारी / स्वामित्व)
1.1	कंपनी की ओर से निविदा भरने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत होना चाहिए		पावर ऑफ अटॉर्नी की मूल प्रति, कंपनी के मूल दस्तावेज़ की मूल प्रति हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का वकील एक मात्र की ओर से निविदा मालिक/कंपनी, प्रमाणित और नोटरी द्वारा प्रमाणित. आवश्यक नहीं मालिक / मालिक / निदेशक के मामले में निविदा स्वयं जमा करें।
1.2	निविदाकार के लिए अनिवार्य है पैनकार्ड नंबर		पैन कार्ड की फोटो कॉपी संलग्न करें
1.3	((फर्म / कंपनी / साझेदारी / स्वामित्व / संघ) संलग्न परिशिष्ट संख्या 1 और 2		संलग्न परिशिष्ट क्रमांक. 1 और 2
1.4	(फर्म/कंपनी/साझेदारी/स्वामित्व/संघ)संलग्न परिशिष्ट संख्या 1 एवं 2		
1.5	निविदाकार (फर्म/कंपनी)/साझेदारी/स्वामित्व/संघ) को कभी भी ब्लैकलिस्ट में नहीं डाला जाना चाहिए या पुलिस द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। वहाँ क्या कोई मामला न्यायालयमें लंबित नहीं है ?		पर सबूत का हलफ नामा जमा करें 100/- रूपये का नोटरी कृत स्टाम्प। शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है निविदा के परिशिष्ट क्रमांक 04 पर।
1.6	निविदाएं (फर्म / कंपनी / साझेदारी / स्वामित्व /		कार्यादेश की प्रति जमा करें अनुभव एवं



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

	संघ) होनी चाहिए न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव आयुर्वेदिक / पौली हर्बल पशु आहार अनुपूरक के निर्माण में.		संलग्न संबंध में के सबूत के लिए एक हलफ नामा के नोटरी कृत स्टाम्प पर अनुभव 100/- रु. शपथ पत्र का प्रारूप के परिशिष्ट क्रमांक 05 पर संलग्न है अनुभव के संबंध में, परिशिष्ट क्रमांक 02 पर कंडिका 7 पढ़ें।
1.7	निविदाकर्ता के लिए यह अनिवार्य है टर्नओवर के साथ संलग्न करें वित्तीय वर्ष 2021-22 या 2022-23		कंपनी की बैलेंसशीट संलग्न करें जिसका टर्नओवर सीए द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 या 2022-23 में प्रमाणित हो।
1.8	निविदाकर्ता के पास जीएसटी नंबर होना चाहिए।		जीएसटी नंबर की एक छांयाप्रति संलग्न करें।
1.9	रूपये 50,000 /- जमा करना अनिवार्य है। भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से जमा किया जाये.		ईएमडी राशि की ऑनलाइन रसीद संलग्न करें।
1.10	एम.एस .एम.ई प्रमाण पत्र की छांया प्रति संलग्न करें।		म.प्र. राज्य के उद्यमियों के लिए, एम.एस .एम.ई प्रमाण पत्र संलग्न करें. एम.एस .एम.ई उद्यमी के लिए ई.एम.डी आवश्यकता नहीं होगी।
1.11	निविदा कर्ता के पास एफ.एस.एस.ए.आई, जी.एम.ओ, जी.एम.पी.प्रमाण पत्र होना चाहिए।		सभी प्रमाण पत्रों की एक प्रति संलग्न करें।

टिप्पणी :-

- उपरोक्त सभी दस्तावेज़ निविदाकारों द्वारा स्व-प्रमाणित होने चाहिए। यदि निविदाकारों द्वारा कोई दस्तावेज़ संलग्न नहीं किया गया है और निविदाकारों द्वारा स्व-प्रमाणित नहीं किया गया है, तो निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।
- निविदाकर्ता को उपरोक्त तकनीकी बोली को पूरा करना होगा। परिशिष्ट क्रमांक में 02. शर्तें और निविदा की शर्तें जहां सभी आवश्यक दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है। निविदाकारों को तकनीकी बोली के साथ जमा करना होगा।

निविदाकर्ताओं का नाम :-

.....

पता: -

.....

मोबाईल न. :-



आयुर्वेदिक / पॉली-हर्बल पशु आहार अनुपूरक के नियम और शर्तें

- 1- सफल निविदाकर्ता को 1000/- रुपये के नोटरी कृत स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। निविदाकर्ता अनुबंध के नियम और शर्तें पढ़ सकते हैं जो परिशिष्ट संख्या 06 में संलग्न है।
- 2- भोपाल सहकारी दुग्ध संघ भोपाल (सांची) द्वारा नियुक्त किसी भी एजेंसी को विशेष आधार पर सांची Cattle Feed Supplement के आधार पर आयुर्वेदिक / पॉली-हर्बल पशु आहार अनुपूरक की आपूर्ति के लिए कार्य।
- 3- केवल मध्य प्रदेश के एम.एस.एम.ई. उद्यमियों को ईएमडी राशि के लिए छूट होगी लेकिन उन्हें टेंडर में एम.एस.एम.ई. प्रमाण पत्र जमा करना होगा। एम.एस.एम.ई. प्रमाण पत्र जमा किए बिना निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 4- **अनुबंध अवधि:-** निविदाकार की अनुबंध अवधि उक्त अवधि के पूरा होने पर तीन वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी, यदि निविदाकार का प्रदर्शन संतोष जनक है, तो समान नियमों और शर्तों पर अनुबंध अवधि को दो साल (1+1) तक बढ़ाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास होगा।
- 5- **सुरक्षा जमा राशि:-** स्वीकृत निविदाकारों को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख रु. मात्र) की सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करना होगा जो भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के नाम पर देय होगा। ई.एम.डी. राशि को सुरक्षा राशि में समायोजित किया जाएगा। नकद सुरक्षा जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
- 6- **मध्यस्थता:-** यदि इस कार्य के संबंध में पक्षों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है। मामला समीक्षा के लिए प्रबंध संचालन, एम.पी.सी.डी.एफ.को प्रस्तुत किया जाएगा, कोई समाधान नहीं होने की स्थिति में, मध्यस्थता अधिनियम 1996 के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
- 7- इस अनुबंध का क्षेत्राधिकार भोपाल नगर न्यायालय में होगा।
- 8- निविदा प्राप्ति के समय किसी आकस्मिक अवकाश की घोषणा होने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि निविदा की तकनीकी बोलियाँ वित्तीय बोलियाँ खोलने के लिए निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा की संबंधित दिन की बोलियाँ अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जाएंगी।
- 9- **निरीक्षण:-** स्वीकृति से पहले सभी सामग्रियों की आपूर्ति हमारे स्टोर पर निरीक्षण के अधीन है। यदि माल दोषपूर्ण या गलत आपूर्ति के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है, तो इस संबंध में हमारे अधिकृत अधिकारी की रिपोर्ट अंतिम होगी और इस विषय में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा यदि सामग्री बी.एस.डी.एस. भोपाल के विनिर्देशों के अनुसार नहीं पाई जाती है तो आपको अस्वीकार किया जाएगा। और वापस नहीं किया जायेगा आपूर्तिकर्ता को अस्वीकृति के संबंध में डाक / ई-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा। आपूर्तिकर्ता को सूचना



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए ताकि सामग्री की दोबारा जांच की जा सके और उसकी उपस्थिति में उसे नष्ट किया जा सके। यदि आपूर्तिकर्ता समय पर इस कार्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो सामग्री भोपाल सहकारी दुग्ध संघ म.प्र. द्वारा नष्ट कर दी जायेगी। अस्वीकृत सामग्री के विरुद्ध कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

10- कोई विचलन खण्ड नहीं:- निविदा की किसी भी अनिवार्य नियम शर्तों और विशिष्टताओं में कोई विचलन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि तकनीकी निविदा और तित्तीय निविदा खोलने के बाद कोई विचलन पाया जाता है, तो निविदाकर्ता को निविदा प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ किसी भी विचलन के आधार पर किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

11- भुगतान:- हमारे भुगतान की सामान्य शर्तें हमारे स्टोर में सामग्री की प्राप्ति, निरीक्षण और स्वीकृति के बाद या अगली खेप की आपूर्ति से पहले अधिकतम 15 दिनों की अवधि में पूर्ण भुगतान हैं। ऐसे भुगतान अकाउंट पेयी चेक / आरटीजीएस के माध्यम से किए जाएंगे। इन शर्तों से सहमत होने वाले निविदाकारों को अन्य शर्तों को निर्दिष्ट करने वालों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी।

12- परिसमापन हर्जाना:- सफल निविदाकारों को निश्चित समय पर आयुर्वेदिक / पॉली- हर्बल पशु आहार अनुपूरक की आपूर्ति करनी होगी। यदि समय पर आपूर्ति नहीं की गई तो निम्नलिखित जुर्माना लगाया जाएगा।

क्रम संख्या	विलंब अवधि	जुर्माने की रकम
1.	15 दिन तक	लागत का 1%
2.	16 से 30 दिनों के बीच	लागत का 2%
3	30 दिनों के बाद	लागत का 3%

13- यदि कोई भी निविदाकर्ता इस निविदा के संबंध में कोई जानकारी या प्रश्न, आपत्ति प्राप्त करना चाहता है। वे भोपाल दुग्ध संघ कार्यालय पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच किसी भी कार्य समय पर संपर्क कर सकते हैं। इस टेंडर के खुलने से 10 दिन पहले. निविदा खोलने के बाद कोई प्रश्न या आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

14- मूल्य भिन्नता:- यदि कोई निविदाकार कच्चे माल की कीमत में वृद्धि के शर्त के अधीन दर के बाद चाहे तो वे तकनीकी बोली को स्पष्ट रूप से इंगित करके ऐसा कर सकते हैं यदि निविदाकार कच्चे माल की कीमत में वृद्धि के प्रावधान के अधीन कीमतों की पेश कश करने का विकल्प चुनता है तो.....

(A) निविदाकार को कच्चे माल के निर्माता से पर्याप्त प्रामाणिक कीमत के साथ-साथ निविदाकर्ता की तिथि पर कच्चे माल की वर्तमान कीमत जमा करनी होगी।

(B) जहां भी संशोधन होगा, अनुमोदित निविदाकर्ता को कच्चे माल की संशोधित कीमत जमा करनी होगी।



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
GSTIN - 23AAAAB0221D12W



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

- (C) निविदाकर्ता को वर्तमान कच्चे माल की कीमत के साथ-साथ आपूर्ति के सभी समय की जानकारी भेजनी होगी। हालाँकि, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मूल्य वृद्धि खंड के साथ या उसके बिना प्रस्तावित दरों को मंजूरी देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 15- यह ऑनलाइन निविदाएं हैं, इसलिए निविदाकर्ताओं को सभी नियमों और शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ-साथ ईएमडी राशि भी ऑनलाइन ही जमा करनी चाहिए भौतिक दस्तावेज़ स्वीकार नहीं किए जाएंगे, और निविदा स्वचालित रूप से अस्वीकार कर दी जाएगी।
- 16- (A) अनुबंध समझौते की परिभाषा खंड के अनुसार बोली लगाने वाला एक इकाई या संस्थाओं का समूह (कंसोर्टियम) हो सकता है, जो परियोजना को लागू करने के लिए एक साथ आ रहा है। हालाँकि, व्यक्तिगत रूप से या कंसोर्टियम के सदस्य के रूप में आवेदन करने वाला कोई भी निविदाकार, जैसा भी मामला हो, उसी परियोजना के लिए किसी अन्य निविदाकार का सदस्य हो सकता है या उसी निविदा दस्तावेज़ के तहत किसी अन्य परियोजना का सदस्य हो सकता है। निविदाकार शब्द का प्रयोग किया गया हो यह एक इकाई और संघ दोनों पर लागू होगा।
- (B) बोली लगाने वाला कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एक मात्र स्वामित्व वाली कंपनी या भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 के तहत पंजीकृत साझेदारी फर्म हो सकता है, और कंसोर्टियम के मामले में कंसोर्टियम बनाने के समझौते के साथ उनमें से कोई भी संयोजन हो सकता है।

17- वित्तीय बोलियाँ खोलने के लिए तकनीकी पात्रता मानदंड:-

1. तकनीकी क्षमता:-

- (A) तकनीकी क्षमता और अनुभव प्रदर्शित करने के लिए बोलीदाता के पास पिछले 3 (तीन) वित्तीय वर्षों 2021-22, 2022-23, 2023-24 में कम से कम 1 (एक वर्ष) का प्रासंगिक कार्य अनुभव होना चाहिए। कंसोर्टियम के मामले में, भागीदारों की अधिकतम संख्या चार (4) हो सकती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, कम से कम एक भागीदार को पात्रता मान दंड पूरा करना चाहिए।- (25 अंक)
- (B) तकनीकी क्षमता और अनुभव प्रदर्शित करने के लिए निविदाकार / संघ का पिछले वित्तीय वर्ष में न्यूनतम टर्नओवर 5 करोड़ होना चाहिए (10 अंक)
- (C) संयंत्र निर्धारित मान दंडों और प्रक्रियाओं के तहत चालू होना चाहिए आई.एस.ओ. द्वारा (5अंक), जी.एम.पी (5अंक), हलाल (5अंक), एच.ए.सी.सी.पी. (5अंक) एफ.एस.एस.ए.आई. लाइसेंस (5अंक), को षेर प्रमाण पत्र (5अंक) होना चाहिए। (कुल 30 अंक)
- (D) डाइऑक्सीजन, भारी धातु और सल्फेट परीक्षण रिपोर्ट प्रदान करनी चाहिए। (10अंक)
- (E) उत्पाद की सुरक्षा और प्रभावकारिता के लिए उसका परीक्षण सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय या किसी बड़ी सहकारी डेयरी से किया जाना चाहिए। परीक्षण रिपोर्ट में नियंत्रण और उपचार समूह को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। प्रत्येक श्रेणी में बैच का आकार न्यूनतम 20 मवेशी (दोनों-गाय और भैंस) होना चाहिए। (10अंक)
- (F) निविदाकार को उत्पाद की सामग्री को निर्दिष्ट करते हुए सी.ए.एस. प्रदान करना चाहिए जिसमें न्यूनतम 60% घटकों की घोषणा की जानी चाहिए। (5अंक)



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAA0221D12W



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

(G) बोली लगाने वाले के पास अच्छी तरह से सुसज्जित विनिर्माण सुविधा और पर्याप्त मिश्रण क्षमता होनी चाहिए (10अंक)

2. वित्तीय क्षमता:- प्रत्येक परियोजना के लिए जिसके लिए निविदाकार अर्हता प्राप्त करना चाहता है बोली लगाने वाले का पिछले 2021-22 या 2022-23 या 2023-24 वित्तीय वर्षों के दौरान न्यूनतम कुल कारोबार 5 करोड़ रुपये होना चाहिए।

अनुभव का विवरण:-

A. निविदाकार को पात्र का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए पिछले 1 (एक) वित्तीय वर्ष (2021-22 या 2022-23) का अनुभव।

काम की गुंजाइश:-

पैकेजिंग आवश्यकताएँ:- SKU: 1000 ग्राम / 1 किग्रा

पैकेजिंग का प्रकार:- जिपर के साथ लैमिनेटेड स्टैंड बायपाउच 205 मि.मी. ऊंचाईx300 मि.मी. चौड़ाई बॉटमिंग सेट के साथ 100 मि.मी.

सामग्री:- आयुर्वेदिक / पॉली-हर्बल पशु आहार अनुपूरक

बैच संख्या और विनिर्माण तिथि स्पष्ट रूप से पहचानी जानी चाहिए।

नोट: हबीबगंज भोपाल स्थित भोपाल दुग्ध संघ डिपो को आपूर्ति की जाएगी।



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.
(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
GSTIN - 23AAAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)
BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53
FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

घोषणा

मैंने / हमने निविदा के सभी नियम एवं शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया है। मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ सत्य हैं। अनुबंध अवधि में यदि मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी अथवा दस्तावेज असत्य पाया जाता है तो भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को मेरे / हमारे विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार होगा। मैं / हम अपनी सहमति देते हैं।

निविदाकर्ता का नाम:-

हस्ताक्षर:-



बी ओ क्यू

आयुर्वेदिक / पॉली-हर्बल पशु आहार अनुपूरक 1 कि.ग्रा.	कीमत सभी कर सहित (जीएसटी / परिवहन आदि)
आयुर्वेदिक / पॉली-हर्बल पशु आहार अनुपूरक - सामग्री	प्रतिशत संरचना
सामग्री 1	
सामग्री 2	
सामग्री 3	
सामग्री 4	
सामग्री 5	
सामग्री 6	
सामग्री 7	
सामग्री 8	

**ध्यान दें:- BOQ ऑन लाइन जमा किया जाना चाहिए। भौतिक प्रस्तुती करण
अस्वीकार कर दिया जाएगा।**



(₹.100/- नोटरी कृत स्टॉप पर जमा करें)

गैर-ब्लैक लिस्टिंग

1. मैं / हम पिता उम्र.....
 फर्म का पता कि हमने
 आयुर्वेदिक / पॉली- हर्बल पशु आहार अनुपूरक के कार्य के लिए दिनांक
 को समाचार पत्र में प्रकाशित ई-टेंडर के संबंध में इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत
 किया है। यह शपथ पत्र मेरे द्वारा पूर्ण होशोहवास एवं मेरी जानकारी में प्रस्तुत किया जा
 रहा है

2. यह कि हमें कभी भी किसी सरकारी / गैर-सरकारी द्वारा काली सूची में नहीं डाला
 गया है। आज तक किसी भी कार्य के लिए सरकारी संस्था कि हमारी एडृत नस्ति में
 आज तक कोई भी आपराधिक मामला / मुकदमा न्यायालय में लंबित नहीं है।

नाम:-

हस्ताक्षर:-

1. गवाह
 नाम :-

2. गवाह
 नाम :-

पता :-

पता :-

आधार कार्ड नं :-
 मोबाइल नंबर :-

आधार कार्ड नं :-
 मोबाइल नंबर :-

तारीख :-

सत्यापन :-

मैं, सहयोगी, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि पैराग्राफ में संपूर्ण कथन का
 उल्लेख किया गया है उपरोक्त शपथ पत्र क्रमांक 01 एवं 02 मेरे व्यक्तिगत आधार पर
 सत्य एवं सही है ज्ञान इससे कुछ भी छिपा नहीं है



परिशिष्ट क्रमांक 05

(रु.100/- नोटरी कृत स्टांप पर जमा करें)

उपक्रम

मैं/हम.....पिता.....उम्र.....
 फर्म का पता कि हमारे पास आयुर्वेदिक / पॉली-हर्बल पशु आहार अनुपूरक के निर्माण में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव है। और यदि अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी समय, किसी भी कारण से, हमारे द्वारा प्रस्तुत कार्य आदेशों की प्रति मेरी जानकारी के आधार पर पूरी तरह से सही है, तो हमने प्रमाणीकरण के लिए ई-निविदा में कार्य आदेश की प्रतियां संलग्न की हैं। गलत पाए जाने पर भोपाल सहकारी दुग्ध संघ प्रबंधन हमारे विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा और हम इसके लिए अपनी सहमति देते हैं कि भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा हमारे विरुद्ध की गई कार्रवाई पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

नाम:-

हस्ताक्षर:-

1 गवाह

नाम :-

पता :-

आधार कार्ड नं :-

मोबाइल नंबर :-

तारीख :-

2. गवाह

नाम :-

पता :-

आधार कार्ड नं :-

मोबाइल नंबर :-

सत्यापन :-

मैं, सहयोगी, सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूं कि उपरोक्त हलफनामे में उल्लिखित संपूर्ण विवरण मेरे व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर सत्य और सही है। इससे कुछ भी छिपा नहीं है।



अनुबंध प्रारूप

(निविदाकर्ता निविदा के नियम एवं शर्तें पढ़ सकते हैं) इन्हें ऑनलाइन निविदा दस्तावेज़ के साथ संलग्न नहीं किया जाना चाहिए)

परिशिष्ट संख्या 06

आयुर्वेदिक / पॉली-हर्बल पशु आहार अनुपूरक के निर्माण के लिए समझौता।

1. यह समझौता भोपाल में 2024 को से अवधि के लिए किया गया है। को.....द्वारा और बीच में एम / एस भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जिसका प्रशासनिक कार्यालय डेयरी प्लांट हबीबगंज, भोपाल (एम.पी.)-462004 में है, को इसके बाद प्रथम पक्ष के रूप में संदर्भित किया गया है और इसके कारखाने के साथ आई एसओ, एचएसीसीपी लाइसेंस संख्या द्वारा अनुमोदित को दूसरे पक्ष के रूप में संदर्भित करने के बाद,
2. यह पूर्णतः व्यावसायिक समझौता है। यदि दूसरा पक्ष समझौते के अनुसार कार्य करने को इच्छुक नहीं है। उसे पहले पक्ष को एक महीने की अग्रिम सूचना देनी होगी और यदि पहला पक्ष दूसरे पक्ष के साथ इस समझौते को जारी नहीं रखना चाहता है तो पहला पक्ष दूसरे पक्ष को एक महीने की अग्रिम सूचना के माध्यम से सूचित करेगा।
3. प्रथम पक्ष इसके द्वारा दूसरे पक्ष को ट्रेडमार्क - "आयुर्वेदिक/पॉली- हर्बल पशु आहार अनुपूरक" के तहत प्रथम पक्ष द्वारा विकसित और पंजीकृत आयुर्वेदिक / पॉली-हर्बल पशु आहार अनुपूरक को 1000 ग्रा/ 1 किलो ग्राम पैकेजिंग में संसाधित और पैक करने की अनुमति देता है इसके बाद इसे "आयुर्वेदिक / पॉली-हर्बल पशु आहार अनुपूरक" कहा जाएगा।
4. प्रथम पक्ष इस समझौते के अस्तित्व के दौरान, दूसरे पक्ष को समतारीख को समझौते में निहित नियमों और शर्तों के अनुसार "ट्रेडमार्क" का उपयोग करने का लाइसेंस देता है और समय-समय पर हस्ताक्षरित और निष्पादित किया जाता है। पार्टियों को यहाँ.
5. द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के साथ इस प्रकार अनुबंध करता है: -
 - (a) प्रथम पक्ष द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार एक संयंत्र में "आयुर्वेदिक / पॉली- हर्बल पशु आहार अनुपूरक" ब्रांड "आयुर्वेदिक/पॉली- हर्बल पशु आहार अनुपूरक" निर्माता को और समय-समय पर लागू वैधानिक आवश्यकताओं और आईएसओ / एचएसीसीपी मानकों का पालन करना चाहिए।
 - (b) प्रथम पक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए गए सभी गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों और "आयुर्वेदिक/पॉली- हर्बल पशु आहार अनुपूरक" के उत्पादन और वितरण का पूरा रिकॉर्ड रखना और अनुरोध किए जाने पर ऐसी रिपोर्ट और नमूनों के साथ प्रथम पक्ष को समय-समय प्रस्तुत करना.
 - (c) प्रथम पक्ष को नियमित व्यावसायिक घंटों के दौरान किसी भी समय, बिना किसी सूचना के, दूसरे पक्ष को पूरे परिसर का निरीक्षण करने की अनुमति देना और दूसरे पक्ष द्वारा व्यवसाय के संचालन के सभी पहलुओं का निरीक्षण करना। दूसरा पक्ष किसी भी कमी को ठीक करने और यहां और विशिष्टताओं में उल्लिखित गुणवत्ता के मानकों को बनाए रखने के लिए तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई करेगा।



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D12W



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

- (d) उपभोक्ता जनता के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रचलित नियमों के अनुसार संचालन के तरीकों को नियोजित करना।
 - (e) यह समझा जाए और इसके द्वारा स्वीकार किया जाये कि समान और उच्चमानक वना और व्यापक उपभोक्ता स्वीकृति बनाने और बनाए रखने के लिए गुणवत्ता और सेवाएँ आवश्यक हैं।
 - (f) "सांची ऑल-इन-वन मिल्क मैजिक" की बिक्री को सख्ती और लगन से बढ़ावा देना और रेलवे, संस्थानों और खुदरा बाजार में "आयुर्वेदिक/पॉली- हर्बल पशु आहार अनुपूरक" का पूर्ण वितरण और प्रचार सुनिश्चित करना।
 - (g) "ट्रेडमार्क" लाइसेंस की उपस्थिति और उपयोग के संबंध में प्रथम पक्ष के सभी अनुरोधों का अनुपालन करने के लिए, जिसमें फॉर्म या शैली को बदलने का कोई भी अनुरोध शामिल है, किसी अन्य "ट्रेडमार्क और नाम" के प्रतिस्थापन में किसी भी "ट्रेडमार्क और नाम" का उपयोग करना बंद करें। निशान और नाम"
 - (h) श्रम कानून भविष्य निधि, ईएसआई, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय अधिकारियों के कर कानूनों सहित सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन करना। दूसरा पक्ष केवल अधिनियमों के किसी भी उल्लंघन या उल्लंघन के लिए जिम्मेदार होगा।
 - (i) किसी भी ट्रेडमार्क के तहत किसी भी उत्पाद को प्रोसेस न करें, बोटल बंद न करें, बेचें, सौदा न करें या अन्यथा चिंतित न हों, जो ट्रेडमार्क की नकल या उल्लंघन है या किसी भी उत्पादको इस तरह से पारित करने की संभावना है जैसे कि यह प्रथम पक्ष से उत्पन्न हुआ हो। **"आयुर्वेदिक/पॉली- हर्बल पशु आहार अनुपूरक"** के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय के साथ दूसरे पक्ष के जुड़ाव के कारण, यह स्पष्ट रूप से समझा और निर्धारित किया गया है कि उक्त ट्रेडमार्क का उपयोग किसी भी रूप या फैशन या किसी भी रूप में किया जा सकता है। ग्राफिक रूप से उसके समान शब्द या प्रथम पक्ष के उत्पाद के अलावा किसी अन्य उत्पाद की नकल को ट्रेडमार्क का उल्लंघन माना जाएगा।
 - (j) दूसरे पक्ष को मेसर्स भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित से सहमत न्यूनतम व्यवसाय गारंटी के आधार पर प्रथम पक्ष से लिखित पूर्व अनुमति के बिना किसी अन्य ब्रांड या ट्रेडमार्क या किसी अन्य लाइसेंस धारी ट्रेडमार्क के लिए कार्य अनुबंध / निर्माण अनुबंध / फ्रेंचाइजी समझौता नहीं लेना चाहिए
6. द्वितीय पक्ष इसके द्वारा प्रथम पक्ष के साथ निम्नानुसार अनुबंध करता है।
- a. कि प्रथम पक्ष को माल की अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) तय करने का पूर्ण अधिकार होगा।
 - b. ऑर्डर देने के बाद दूसरी पार्टी आवश्यक उत्पादों का उत्पादन करेगी और निर्दिष्ट तिथि के साथ सभी आवश्यक लेबलिंग और पैकेजिंग को पूरा करेगी और अंतिम तैयार माल को हबीबगंज में मुख्य संयंत्र में वितरित करेगी।
 - c. प्रथम पक्ष को डीलर नेटवर्क स्थापित करने और डीलरों को नियुक्त / बदलने का पूर्ण अधिकार होगा। हालाँकि, दूसरा पक्ष केवल मुख्य संयंत्र हबीबगंज में निर्मित पैकेट उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होगा।
7. यदि सामान सीधे दूसरे पक्ष द्वारा बेचा जाता है तो 5000/- रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

8. दूसरा पक्ष प्रत्येक सप्ताह पहले पक्ष को पिछले महीने के दौरान निर्धारित आकारों और आकारों में निर्मित और बेचे गए सांची ऑल-इन-वन मिल्क मैजिक के मामलों / इकाइयों की संख्या का सही और पूरा विवरण प्रस्तुत करेगा।
9. अनुबंध के दौरान दूसरा पक्ष पूरे अनुबंध को किराये पर नहीं देगा।
10. आवश्यकता पड़ने पर प्रथम पक्ष की सहमति से दूसरा पक्ष समझौते के दौरान कंसोर्टियम में संशोधन कर सकता है।
11. यहां लाइसेंस को छोड़कर, दूसरा पक्ष लाइसेंस के अस्तित्व के दौरान, उक्त का उपयोग करने या बेचने के लिए दूसरे पक्ष के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को उपयोग, अभ्यास, या बिक्री या अनुमति नहीं देगा या अधिकृत नहीं करेगा। व्यापार चिह्न" उपरोक्त क्षेत्र के भीतर।
12. दूसरा पक्ष प्रथम पक्ष के साथ अनुबंध करता है कि वह उपरोक्त उद्देश्य के लिए उक्त ट्रेडमार्क का पूरी तरह से और कानूनी रूप से उपयोग करेगा और किसी अन्य व्यक्तिया पार्टी को उक्त ट्रेडमार्क का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा।
13. दूसरा पक्ष किसी भी संबंध में उक्त ट्रेडमार्क को किसी अन्य व्यक्ति को उप-किराए पर देने, सौंपने या बेचने का हकदार नहीं होगा और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आयुर्वेदिक / पाली हर्बल पशु आहार अनुपूरक के किसी भी अन्य ब्रांड के साथ किसी भी तरह से जुड़ा नहीं होगा।
14. दूसरा पक्ष बाजार में ऐसा कोई सामान नहीं लाएगा जो गुणवत्ता के मामले में प्रथम पक्ष के विनिर्देशों को पूरा नहीं करता हो। इस बात पर भी सहमति है कि दूसरा पक्ष उक्त ट्रेडमार्क का उपयोग इस तरह से नहीं करेगा जिससे इस का विशिष्ट चरित्र खतरे में पड़ सकता है और सभी लेबल पैकेजिंग सामग्री, बिक्री प्रचार और विज्ञापन सामग्री के लिए प्रथम पक्ष से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा। उपरोक्त सभी सामग्री में "ट्रेडमार्क प्रोपराइटर से लाइसेंस के तहत प्रयुक्त" किंवदंती प्रदर्शित की जाएगी।
15. यदि दूसरा पक्ष इस अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो प्रथम पक्ष को बिना अतिरिक्त समय दिए इस अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की स्वतंत्रता होगी।
16. दूसरे पक्ष को समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर उत्पादन शुरू करना होगा अन्यथा सुरक्षा जमा राशि जब्त करली जाएगी।
17. दूसरे पक्ष के पास उक्त ट्रेडमार्क पर कोई भी अधिकार नहीं होगा और लाइसेंस के निर्धारण पर, समय की पुष्टिया पार्टियों के अधिनियम द्वारा, उक्त ट्रेडमार्क का उपयोग करने, प्रयोग करने या बेचने का कोई अधिकार नहीं होगा।
18. दूसरे पक्ष को भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य संयंत्र को स्टॉक की आपूर्ति करनी होगी।
19. निम्नलिखित में से किसी भी घटना के घटित होने पर, पहला पक्ष (किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) दूसरे पक्ष को लिखित नोटिस द्वारा किसी भी समय तत्कालप्रभाव से इस समझौते को समाप्त कर सकता है।
 - (a) यदि दूसरा पक्ष 30 दिनों के भीतर इस समझौते के तहत देय किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है।
 - (b) यदि प्रथम पक्ष को यह ज्ञात हो जाता है कि द्वितीय पक्ष द्वारा निर्मित तैयार उत्पादों में गंभीर स्वास्थ्य दोष है या वे प्रथम पक्ष के मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं।
 - (c) यदि प्रथम पक्ष खुदरा बाजार या संस्थान से गुणवत्ता नियंत्रण या खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम या उसके संशोधन के तहत लिए गए नमूनों पर वाहन हीं करता है जो ब्रांड प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है।



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

- (d) किसी भी अन्य परिस्थिति में, कोई भी पक्ष 30 दिन का नोटिस देकर इस समझौते को समाप्त कर सकता है।
20. इस अनुबंध में अन्य सभी नियम एवं शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। समतारीख को हस्ताक्षरित "समझौते" के नियम और शर्तें इस समझौते का हिस्सा होंगी और दूसरे पक्ष पर बाध्यकारी होंगी।
21. समय की बर्बादी या पार्टियों के कार्य के कारण इस समझौते के समाप्त होने की स्थिति में, समझौता स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा या इसके विपरीत।
22. मुख्य प्लांट हबीबगंज में सारा सामान पहुंचाने के बाद। यदि कोई सामान प्रथम पक्ष के विनिर्देशों के अनुसार मेल नहीं खाता है। दूसरी पार्टी उन सामानों को बदलदेगी, उसके बाद बाकी राशि का भुगतान पहली पार्टी द्वारा किया जाएगा।
23. निविदा दस्तावेज़ के नियम और शर्तें जो परिशिष्ट संख्या 02 में उल्लिखित हैं, इस समझौते का हिस्सा होंगी।
24. **संविदा अवधि**
द्वितीय पक्ष अनुबंध अवधि उक्त अवधि के पूरा होने पर तीन वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी, यदि द्वितीय पक्ष का प्रदर्शन संतोषजनक है, तो समान नियम और शर्तों पर अनुबंध अवधि को दो वर्ष (1+1) तक बढ़ाने का अधिकार होगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास निहित।
25. **सुरक्षा जमा :-**
दूसरे पक्ष को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 1,00,000/- रुपये (केवल एक लाख रुपये) की सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करना होगा जो भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के नाम पर देय होगा। ईएमडी राशि को सुरक्षा राशि में समायोजित किया जाएगा। नकद सुरक्षा जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
26. **मध्यस्थता करना :-** यदि इस कार्य के संबंध में पक्षों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है। मामले को समीक्षा के लिए प्रबंधनिदेशक, एमपीसीडीएफ को प्रस्तुत किया जा सकता है, समाधान न होने की स्थिति में, मध्यस्थता अधिनियम 1996 के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
27. इस अनुबंध का क्षेत्राधिकार भोपाल नगर न्यायालय में होगा।
28. **निरीक्षण :-** स्वीकृति से पहले सभी सामग्रियों की आपूर्ति हमारे स्टोर पर निरीक्षण के अधीन है। यदि माल दोषपूर्ण या गलत आपूर्ति के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है, तो इस संबंध में हमारे अधिकृत अधिकारी की रिपोर्ट अंतिम होगी और किसी अन्य विषय पर पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि सामग्री प्रथम पक्ष के विनिर्देशों के अनुसार नहीं पाई जाती है तो खेप को अस्वीकार कर दिया जाएगा और वापस नहीं किया जाएगा। दूसरे पक्ष को अस्वीकृति के संबंध में डाक / ई-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा। दूसरे पक्ष को सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए ताकि सामग्री की दोबारा जांच की जा सके और उसकी उपस्थिति में उसे नष्ट किया जा सके। यदि द्वितीय पक्ष इस कार्यालय में समय पर उपस्थित नहीं होता है तो सामग्री प्रथम पक्ष द्वारा नष्ट कर दी जाएगी। अस्वीकृत सामग्री के विरुद्ध कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
29. भुगतान हमारे भुगतान की सामान्य शर्तें हमारे स्टोर में सामग्री की प्राप्ति, निरीक्षण और स्वीकृति के बाद 15 दिनों की अवधि में पूर्ण भुगतान हैं। ऐसे भुगतान अकाउंट पेयी चेक / आरटीजीएस के माध्यम से किए जाएंगे। इन शर्तों से सहमत होने वाले निविदाकारों को अन्य शर्तों को निर्दिष्ट करने वालों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी।